

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जनवरी 2014—पौष 23, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्र. एफ-बी-1-56-2011-2-पांच-(02).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-8 में,—

उपनियम (1) में शब्द तथा अंक “रुपये 50,000/-” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “रुपये 2,00,000/-” स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्र. बी-1-56-2011-2-पांच-(02).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-56-2011-2-पांच-(02), दिनांक 13 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 13th January 2014

No. F-B-1-56-2011-2-V(02).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) read with proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Distillery Rules, 1995, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 8,—

In sub-rule (1) for the letters and figures “Rs. 50,000/-”, the letters and figures “Rs. 2,00,000/-” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्र. एफ-बी-1-56-2011-2-पांच-(03).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(एक) नियम 9 में, उपनियम (1) में, खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ज) आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निदेशित न्यूनतम विक्रय मूल्य एवं अधिकतम खुदरा मूल्य.”

(दो) नियम 19 में उपनियम (1) में शब्द तथा अंक “रुपये 50,000/-” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “रुपये 2,00,000/-” स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्र. बी-1-56-2011-2-पांच-(03).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-56-2011-2-पांच-(03), दिनांक 13 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 13th January 2014

No. F-B-1-56-2011-2-V(03).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) read with proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(i) In rule 9 in sub-rules (1) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:—

“(h) Minimum selling price and Maximum retail price as directed by the excise Commissioner” shall be substituted;

(ii) in rule 19, in sub-rule (1), for the letters and figures “Rs. 50,000/-”, the letters and figures “Rs. 2,00,000/-” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्र. एफ-बी-1-56-2011-2-पांच-(04).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 23 में उपनियम (1) में शब्द तथा अंक “रुपये 50,000/-” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “रुपये 2,00,000/-” स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्र. बी-1-56-2011-2-पांच-(04).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-56-2011-2-पांच-(04), दिनांक 13 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 13th January 2014

No. F-B-1-56-2011-2-V(04).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) read with proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Beer and Wine Rules, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

In rule 23, in sub-rule (1) for the letters and figures “Rs. 50,000/-”, the letters and figures “Rs. 2,00,000/-” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्र. एफ-बी-1-56-2011-2-पांच-(05).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 में उपनियम (1) में, अंक तथा शब्द “50,000/- रुपये” के स्थान पर, अंक तथा शब्द “2,00,000/- रुपये” स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्र. बी-1-56-2011-2-पांच-(05).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-56-2011-2-पांच-(05), दिनांक 13 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 13th January 2014

No. F-B-1-56-2011-2-V(05).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) read with proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Country Spirit Rules 1995, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 12, in sub-rule (1) for the letters and figures “Rs. 50,000/-”, the letters and figures “Rs. 2,00,000/-” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.